3 4-2000-10 लाख फा.

A P P
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मिसल तलबी अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

खेडमल बनाम राज० सरकार

मुकदमा प्रा० पत्र अंतर्गत धारा 128 LRA नं० सन् 192 2022

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	19/07/25	
	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। प्रार्थना पत्र, पत्रावली व तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील बहस पर मनन करने पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रा०पत्र धारा 128 लैण्ड रेवन्यू एक्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी प्रा०पत्र अंतर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 19/7/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH:-01420-228487 E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :–192/2022

प्रकरण दायर दिनांकः– 11.10.2022

प्रकरण निर्णय दिनांकः– 19.02.2025

उनवान– 1. रेवडमल उम्र 65 वर्ष पुत्र कान्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम अरनिया तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

बनाम

1. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बांदीकुई

प्रार्थना पत्र धारा 128 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

निर्णय दिनांक 19.02.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी की भूमि काश्त खाता सं. नया 341 पुराना 346 के खसरा नं. 852 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नं. 853 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नं. 854 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नं. 858 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नं. 859 रकबा 0.12 हैक्टेयर खसरा नं. 860 रकबा 0.70 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.27 हैक्टेयर ग्राम अरनिया तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है तथा काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा प्रार्थी की भूमि के चारो ओर खाम डौल बीन हुई है जो धीरे –धीरे बिस्मार हो रही है। प्रार्थी ने अपनी भूमि खसरा नं. 853 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नं. 854 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नं. 858 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नं. 859 रकबा 0.12 हैक्टेयर खसरा नं. 860 रकबा 0.70 हैक्टेयर स्थिति ग्राम अरनिया तहसील बांदीकुई जिला दौसा का दिनांक 22.6.2014 को सीमाज्ञान करवाया था किन्तु अब प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नं. 854, 858, 859, 860 के चारों ओर आवारा पशुओं से सुरक्षा हेतु पत्थर के गड्डू गाढ़ कर उसमे तारबन्दी किया जाना आवश्यक है। जिस पर दिनांक 01.10.2022 को प्रार्थी अपने खेतों के चारों ओर पत्थर के गड्डू गढ़वाने लगा तो वाह आप पडौस के खातेदारों द्वारा बिना किसी अधिकार के प्रार्थी के गड्डू गाढने पर एतराज किया तथा एलानियां कहा कि वह तहसीलदार बांदीकुई से पत्थर गढी के आदेश प्राप्त कर ही तारबन्दी करे। इस हेतु प्रार्थी को अपनी भूमि के चारों ओर पुख्ता निशानात करवाया जाकर पत्थर गढी करवाया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी की भूमि के पडौस में सरकारी सवाईचक भूमि होने से तथा सवाईचक भूमि जिसका खातेदार तहसीलदार बांदीकुई भूमिधारी होने से पक्षकार अप्रार्थी बनाया है। प्रार्थी व भूमि मुतदाविया श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से श्रीमान को प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। दिनांक 22.06.2014 को प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान करने व 01.10.2022 को पत्थर गढी करने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 854 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नं. 858 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नं. 859 रकबा 0.12 हैक्टेयर

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नं. 860 रकबा 0.70 हैक्टेयर भूमि ग्राम अरनियां तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है का तहसील बांदीकुई जिला दौसा को पत्थरगढ़ी मुताबिक नक्शा मौका करवाये जाने बाबत् तहसीलदार बांदीकुई को आदेश प्रदान फरमायें जावें।

प्रार्थी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस विधिवत की गयी। प्रकरण में बहस प्रार्थी वकील सुनी गयी। प्रार्थी वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने प्रार्थी वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबंदी संवत 2074–77 ग्राम अरनियां खाता सं. नया 341 पुराना 346, फर्द मौका सीमाज्ञान ग्राम अरनियां दिनांकः 22.06.2014 एवं तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट दिनांकः 25.10.2023 का अवलोकन किया गया। दस्तावेजात राजस्व जमाबनदी संवत 2074–77 ग्राम ग्राम अरनियां खाता सं. नया 341 पुराना 346 में प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। फर्द मौका सीमाज्ञान ग्राम अरनियां दिनांकः 22.06.2014 के अनुसार वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी विधिवत करने में बाधा का कोई कारण नहीं है। भूमि सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी निर्धारित कराने का प्रार्थी को एल.आर एक्ट. प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारात प्राप्त है। अतः प्रार्थी वकील बहस पर मनन करने एवं प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबन्दी, फर्द मौका सीमाज्ञान ग्राम अरनियां दिनांकः 22.06.2014 व तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट दिनांक 25.10.2023 के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार बांदीकुई प्रार्थी की दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी भूमि खसरा नं. 854 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नं. 858 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नं. 859 रकबा 0.12 हैक्टेयर खसरा नं. 860 रकबा 0.70 हैक्टेयर भूमि ग्राम अरिनया तहसील बांदीकुई जिला दौसा जिला दौसा मुताबिक मौका पर्चा सीमाज्ञान रिपोर्ट ग्राम अरनियां दिनांकः 22.06.2014 मय राजस्व टीम भू. अ. निरीक्षक, पटवारी की गठित कर पत्थरगढी करावें। पत्थरगढी के दौरान मौके पर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस जाप्ता थानाधिकारी बॉदीकुई से प्राप्त करें। थानाधिकारी बॉदीकुई वांछित पुलिस जाप्ता तहसीलदार बांदीकुई को उपलब्ध करावें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

19/2/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
~~उपखण्ड अधिकारी~~
उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner